International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास

डॉ. दिलीप कुमार परसेन्डिया

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ (म.प्र.)

सारांश :
''भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास'' शीर्षक से प्रस्तुत शोध पत्र में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का परिचय देते हुए इसकी महत्ता एवं आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, साथ ही बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को वर्णित करते हुए उन्हें विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन की सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार ही बौद्धिक सम्पदा का अधिकार कहलाता हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार होना चाहिए। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक सम्पदा का अधिकार की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संसद में पारित किये गये बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के अन्तर्गत विभिन्न अधिनियमों को भी शोध पत्र में सूचीबद्ध किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार पर प्रकाश डाला गया है एवं कॉपीराइट एक्ट, एकस्व या पेटेन्ट एक्ट का भी संक्षिप्त में वर्णन किया गया है।

परिचय :
बौद्धिक सम्पदा के अधिकार मानव मस्तिष्क की एक खोज हैं। विष्व में अनेक व्यक्तियों द्वारा नए–नए अविष्कार किए जाते है, जो देष, समाज और मानव जीवन की अनेक समस्याओं का निवारण करते है साथ ही समाज के लिए अनेक प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाते है। मानव में प्राचीन काल से ही प्रकृति को समझने एवं उससे सीखते हुए कुछ नया खोजने की प्रवृति रही है, जिसके परिणाम स्वरुप ही हमें नित नये अविष्कार प्राप्त होते है। ये सभी आविष्कार एवं उपलब्धियॉ किसी व्यक्ति विशेष या समुह के निजी प्रयासों के प्रयासों का परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति, जो अपने कठीन प्रयासों के बाद किसी नये आविष्कार अथवा विचार को उत्पन्न करता है, वास्तव में उस आविष्कार अथवा विचार का मूल श्रेय भी उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। वभिन्न देशों में वहॉ पर प्रचलित कानून के अनुसार व्यक्ति अपने आविष्कार अथवा विचार को सुरक्षित करते है। व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन की सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार ही बौद्धिक सम्पदा का अधिकार कहलाता हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का एकमात्र अधिकार होना चाहिए। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिये ही दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक सम्पदा का अधिकार की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक सम्पदा से अभिप्राय है– नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक सम्पदा का अधिकार प्रदान करने का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्त्ता का सदैव के लिये अधिकार हो जाएगा जबकी यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि बौद्धिक सम्पदा का अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता हैं।

उद्देश्य :
प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का ऐतिहासिक परिचय एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का वर्णन करना। बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें विभिन्न विभागों में विभाजित करना है। अर्न्तराष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन पर विवरण प्रस्तुत करना और कॉपीराइट, एकस्व या पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क का परिचय देना है।

बाद्धिक सम्पदा का अधिकार :
बौद्धिक सम्पदा का अधिकार वह विधिक अधिकार है, जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करते है। इन अधिकारों का उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक अधिकार अविष्कारक की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित विषय–वस्तु का लाभ उठाने को प्रतिबंधित करना है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार लेखकों, आविष्कारों आदि की बुद्धि जनित रचनात्मक और आविष्कारशील क्रियाकलापों को प्रोत्साहित, संवर्धित एवं संरक्षित करता है और गुणवत्तापूर्ण माल और सेवाओं के विपणन को सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करता है। इस प्रकार से बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत उन सभी विचारों, व्यवहार, ज्ञान, गोपनीय जानकारी इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जो वाणिज्यिक तौर पर मूल्यवान होते है।
बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु अथवा बौद्धिक सृजन या विचार के निर्माण कर्ता को उस वस्तु अथवा बौद्धिक सृजन के निर्माण का श्रेय प्रदान करता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से बौद्धिक सम्पदा का अधिकार एक निर्माता के व्यक्तिगत हितों की रक्षा इस प्रकार से करता है कि निर्माता द्वारा निर्मित की गयी वस्तुओं एवं समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा उन वस्तुओं के उपयोग से सम्बन्धित सूचनाओं में अधिकारों की भिन्नता रखते हुए निर्माता को उसके निर्माण का श्रेय देते हुए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करता है। किसी बौद्धिक सृजन के निर्माण कर्ता को उस बौद्धिक सृजन के उत्पादन के पश्चात् वह सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं के द्वारा अलग–अलग समय में आपस में बांटते हुए प्रयुक्त की जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है, कि उक्त सूचना का उत्पादक किसी भी तरह से अपने उत्पादक के स्वरूप में प्राप्त अधिकारों से वंचित न हो जाये और उपयोगकर्ताओं एवं उत्पादक में अधिकारों के संबंध में पर्याप्त भिन्नता सुस्पष्ट रहे। आज हमारे समाज में विभिन्न सुविधाओं एवं उत्पादों के निर्माण के पीछे गहन चिन्तन एवं शोध के गम्भीर प्रयास सम्मलित होते हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त परिणाम अथवा उत्पाद अन्य कई व्यक्तियों के द्वारा भिन्न–भिन्न तरीको से प्रयोग में लाया जाता है और कई बार ये दूसरे व्यक्ति उन उत्पादों के नवीन स्वरूपों में परिवर्तित कर अथवा उनके आधार पर अन्य परिष्कृत उत्पाद तैयार कर उसका सम्पूर्ण श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। इस तरह से मूलरूप से एक खोजकर्ता के द्वारा विकसित अथवा निर्मित एक उत्पाद का व्यवसायिक एवं वित्तीय लाभ दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना खोजकर्ता को श्रेय दिये लिया जा सकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार इसी तरह के कृत्यों से खोजकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है एवं खोजकर्ताओं को उनके द्वारा की गयी खोज का श्रेय देने के

साथ–साथ उनके वित्तीय एवं व्यवसायिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है। बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत आने वाले मुख्य तत्व कॉपीराइट एवं इसी तरह के अन्य अधिकार जैसे ट्रेड मार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेन्टस, एकीकृत परिपथ के ले–आउट डिजाइन आदि हैं। किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के मानसिक प्रयासों की सृजनात्मक खोज के आधार पर उन्हें प्रदान किया गया अधिकार ही बौद्धिक सम्पदा का अधिकार कहलाता है। बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत मस्तिष्क के विभिन्न सृजनात्मक प्रयासों के माध्यम से की गयी खोज, साहित्य तथा कलात्मक कार्यों एवं व्यवसाय में प्रयुक्त किये गये नाम, चित्र एवं डिजाइन आदि आते हैं ।

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का इतिहास :

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार का प्रारंभ वर्ष 1856 में हुआ जब जॉर्ज अलफ्रेड डे पेनिंग ने अपना पेटेन्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद में उन्हें प्रदान किया गया पेटेन्ट भारत के बौद्धक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत प्रदत्त प्रथम पेटेन्ट के रूप में जाना गया। बौद्धिक सम्पदा के अधिकर के अन्तर्गत आने वाले कॉपीराइट एक्ट का इतिहास भारत में सबसे पुराना है। यह अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के दौरान वर्ष 1847 में लागू किया गया। उस समय के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पुस्तक उसके लेखक के सम्पूर्ण जीवनकाल एवं उसकी मृत्यु के सात वर्षों तक कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत नियंत्रित होती थी। वर्ष 1914 में भारतीय संसद में नया कॉपीराइट एक्ट पास किया, जो कि मुख्य रूप से यूनाइटेड किंग्डम के वर्ष 1911 के कॉपीराइट एक्ट के लगभग अनुरूप था। इसके पश्चात् स्वतंत्र भारत में वर्ष 1958 में नया कॉपीराइट एक्ट लागू किया गया। पेटेन्ट के दृष्टिकोण से भारत में वर्ष 1856 में अधिनियम पास हुआ जो कि सन् 1883 में संषोधित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1911 में भारतीय पेटेन्ट एवं डिजाइन एक्ट ने इसका स्थान लिया। यह अधिनियम वर्ष 1920, 1930 एवं वर्ष 1945 में पुनः संशोधित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1949 में लाहौर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायधीश डॉ० बख्शी टेकचन्द की अध्यक्षता में पेटेन्ट अधिनियम की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई। जिसके पश्चात् वर्ष 1950 में इस अधिनियम में परिवर्तन किये गये। बाद में समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप इसमें परिवर्तन किये गये। भारत में ट्रेडमार्क पर वर्ष 1940 के पूर्व तक कोई भी औपचारिक कानून नहीं था।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार क विभाग :

सामान्य तौर पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा एवं प्रतिलिप्याधिकार आते हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अधिकार है जिन्हें सैद्धांतिक तौर पर इसमें सम्मलित किया गया है। बौद्धिक सम्पदा के अधिकार में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है–

(क) साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य एवं वैज्ञानिक कार्य
(ख) कलाकार की प्रदर्शन कला
(ग) मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये आविष्कार
(घ) वैज्ञानिक खोज
(ड़) औद्योगिक डिजाइन
(च) ट्रेड मार्क या व्यापार चिन्ह एवं सेवा चिन्ह इत्यादि।

बौद्धिक सम्पदा के अधिकार से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर बौद्धिक सम्पदा के अधिकार को निम्नलिखित विभागों में बाँटा जा सकता है–

1. बौद्धिक सम्पदा का अधिकार जो किसी आविष्कार एवं सृजनात्मक गतिविधियों के आधार पर प्रदान किया जाता हो, इसके अन्तर्गत पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, पादप प्रजनक का अधिकार, एकीकृत परिपथ का ले–आउट या खाका डिजाइन इत्यादि आते हैं ।
2. बौद्धिक सम्पदा के वे सभी अधिकार जो किसी उपभोक्ता को सूचना प्रदान करते हैं, इसके अन्तर्गत ट्रेड मार्क एवं भौगोलिक संकेत आते हैं

भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिनियम :

भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बौद्धिक सम्पदा पर आधारित विभिन्न अधिनियमों को समय–समय पर लागू किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित है :–

क्र.	अधिनियम	विभाग
01	कॉपीटाइट अधिनियम, 1957 (1983 1984, 1992 1994 1999 में संशोधित)	उच्च शिक्षा विभाग
02	पेटेन्ट अधिनियम, 1970 (1999 में संशोधित)	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग
03	डिजाइन अधिनियम, 2000	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग
04	ट्रेड मार्क अधिनियम, 1990	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग
05	Geographical Indication of Goods (REgistration and Protection) Act,1999	औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग
06	Semi-conductor Integrated CircuitsLayout Design Act, 2000	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
07	Protection of Plant Varieties andFormers Rights Act, 2001	कृषि एवं सहकारित विभाग
08	Competion Act, 2002	कार्पोरेट सम्बन्धित मामलों का विभाग
09	Biological Diversity Act] 2002 Intellectual Propety Rights (Imported Goods) Rules, 2007	पर्यावरण एवं वन विभाग

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन :

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी विशिष्ट संस्था है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस संस्था की स्थापना हेतु वर्ष 1967 में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों में स्टॉकहोम में ''Convention Establishing the World Intellectual Property Organization'' पर हस्ताक्षर किये, जिसे वर्ष 1970 में लागू किया गया। इस संस्था को पूर्व में फ्रेंच नाम BIRPI एवं इसके अंग्रेजी नाम Bureux for the Protection of Intellectual Property से जाना जाता था एवं इसका मुख्यालय Berne में था। इसके मुख्यालय को वर्ष 1960 में Berne से Geneva में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संस्था को इसकी आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्त किये गये महानिदेशक के द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी राष्ट्र जो पूर्व से ही किसी संघ का सदस्य हो वह इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यदि इच्छुक राष्ट्र किसी संघ का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह संयुक्त राष्ट्र संघ का अथवा उसकी किसी विशेष संस्था का अथवा आई. पी. ए. का सदस्य हो या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार एक पक्ष हो अथवा डब्ल्यू. आई. पी. ओ. की ओर से आमंत्रित किया गया हो, को सदस्यता प्रदान की जा सकती है। अतः इससे स्पष्ट है कि केवल सम्प्रभुता संपन्न राष्ट्र की डब्ल्यू. आई. पी. ओ. के सदस्य बन सकते हैं।

कॉपीराइट अधिनियम , 1957 :

कॉपीराइट किसी लेखक के मूल कार्य, जिसमें उसकी प्रतिलिपि बनाने, वितरण करने एवं सम्मलित करने के अधिकार शामिल हैं, आदि से सम्बद्ध विभिन्न विशिष्ट अधिकारों का समूह है। किसी भी कार्य के सन्दर्भ में उसका कॉपीराइट एक निश्चित समय तक ही रहता है, उसके पश्चात् वह कार्य सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत माना जाता है। कॉपीराइट अधिनियम विचारों की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित संरक्षण प्रदान करता है। यह विचारों को संरक्षित नहीं करता। उदाहरण के तौर पर पुस्तकालय विज्ञान पर कई लेखकों ने पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, जो अलग–अलग क्षेत्रों जैसे सूचीकरण, वर्गीकरण, प्रबंधन, सन्दर्भ सेवा आदि से सम्बन्धित ज्ञान को प्रस्तुत करती है। इन सभी विषय क्षेत्रों को कई पुस्तकों के स्वरूप में अलग–अलग लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और साथ ही उन सभी लेखकों को अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर कॉपीराइट अधिकार भी प्राप्त होगा, परन्तु इस शर्त के साथ कि उस लेखक के द्वारा लिखी गयी पुस्तक किसी पूर्व में लिखी गयी पुस्तक की प्रतिलिपि अथवा कॉपी न हो। कॉपीराइट के माध्यम से लेखकों के अधिकारों को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है।

कॉपीराइट अधिनियम की विभिन्न शर्तें :

भारत में कॉपीराइट अधिनियम किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित एक पुस्तक बिना लाइसेन्स प्राप्त किये या अनुमति लिये उचित उपयोग की अनुमति देता है। इस उपयोग के अन्तर्गत एक पुस्तक अथवा उसके अन्दर संग्रहित सूचनाओं का प्रयोग शोध कार्य, समीक्षा करना, आलोचना करना एवं शिक्षा हेतु किया जा सकता है। कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित किसी पुस्तक पर यह अधिनियम निम्न प्रकार से प्रभावी होता है–

(अ) यदि पुस्तक किसी लेखक के द्वारा लिखी गयी है एवं उसकी मृत्यु के पहले प्रकाशित की जाती है, तब वह पुस्तक उस लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।

(ब) यदि पुस्तक किसी लेखक के द्वारा लिखी गई है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुई है, तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।

(ब) यदि पुस्तक किसी संस्थान अथवा संगठन के द्वारा प्रकाशित की गयी है, तब वह पुस्तक अपने प्रकाशन के 60 वर्ष तक कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित रहेगी।

इन सभी परिस्थितियों में कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार संरक्षित रहने की सीमा समाप्त होने के पश्चात् वह पुस्तक या प्रलेख सार्वजनिक ज्ञान क्षेत्र में आ जायेगा एवं उस पर कॉपीराइट अधिनियम का प्रभाव नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कॉपीराइट अधिनियम की किसी भी तरह से अवहेलना करने अथवा उल्लंघन करने की स्थिति में यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के दण्ड का प्रावधान भी प्रस्तुत करता है।

एकस्व एवं पेटेन्ट अधिनियम, 1970 :

एकस्व या पेटेन्ट एक आविष्कारक एवं राज्य के बीच का यह अनुबंध है जिसमें अविष्कारक या प्रार्थी को अपने आविष्कार से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने के बदले में राज्य के द्वारा एक निश्चित समयान्तराल के लिए एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। एकस्व अथवा पेटेन्ट की इस व्यवस्था को निर्धारित करने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के नवीन आविष्कारों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं के अलग–अलग तकनीकी आर्थिक एवं विकास कार्यों हेतु सार्वजनिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना एवं गोपनीयता को समाप्त करने का प्रयास करना है। सामान्यतः राज्य द्वारा प्रदान किये गये किसी पेटेन्ट की समय सीमा 20 वर्ष होती है। किन्तु यह अधिकार 20 वर्षों तक तभी जारी रहता है, जब प्रार्थी के द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में उक्त पेटेन्ट से सम्बन्धित रख–रखाव शुल्क समय से जमा करा दिया जाये। किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा पेटेन्ट प्राप्त हो जाने पर उसको इस बात का एकमात्र अधिकार होता है, कि वह उसे अपने अनुसार प्रयोग करे अथवा उस शोध को एक निश्चित समयान्तराल के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे। वर्तमान में भारत में चार पेटेन्ट कार्यालय कार्यरत हैं जिनमें से प्रधान कार्यालय कोलकाता में एवं अन्य कार्यालय दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त नागपुर में Patent Information System (PIS) राष्ट्र के विभिन्न पेटेन्ट का डेटाबेस है।

ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 :

सामान्यतः ट्रेड मार्क को ब्राण्ड अथवा ब्राण्ड नाम भी कहते हैं। यह एक प्रतीक चिन्ह होता है, जो एक हस्ताक्षर, नाम, युक्ति, लेबल, अंक अथवा रंगों का समूह भी हो सकता है। यह एक व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा संगठन के द्वारा अपने व्यावसायिक उत्पदों अथवा सेवाओं को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह के प्रतीक चिन्ह विशिष्ट रेखांकन के द्वारा अपनी पहचान बनाते है एवं दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समान उत्पादों से भिन्न चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ट्रेड मार्क में मुख्यतः दो विशेषतायें होनी चाहिए, प्रथम कि वह विशिष्ट हो तथा द्वितीय कि वह वाणिज्य में प्रयुक्त होता हो। भारत में ट्रेडमार्क आवंटन एवं उनके नियंत्रण हेतु पाँच

ट्रेडमार्क पंजीयन के कार्यालय मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चेन्नई में स्थापित किये गये हैं। इनमें से मुम्बई का कार्यालय मुख्य कार्यालय के रूप में कार्य करता है। ट्रेड मार्क के अंतर्गत Trademark, Service Mark, Collective Mark एवं Certification Mark आते है। ट्रेड मार्क मुख्यतः चार प्रकार के कार्यों को सम्पादित करता है–

1. यह एक सामग्री/माल की पहचान स्पष्ट करता है एवं उसकी उत्पत्ति इंगित करता है
2. यह उक्त उत्पाद/माल की निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी देता है।
3. यह उक्त उत्पाद/माल के प्रचार को सुनिश्चित करता है।
4. यह उक्त उत्पाद/माल की ख्याति का परिचायक है।

उपसंहार :

भारत में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार में निरंतर वृद्धि को बनाए रखने के लिये भारत को अपने समग्र बौद्धिक सम्पदा ढाँचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अनेक काम करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मज़बूत बौद्धिक सम्पदा मानकों को लगातार लागू करने के लिये गंभीर कदम उठाए जाने की भी आवष्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है, कि जिन देशों की बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित है वहाँ आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ है। भारत को 'पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक' को अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता ळें

संदर्भ सूची :

1. Acharya (NK). Textbook on intellectual propety rights. Hyderabad, Asia Law House, 2001.
2. Cornish (WR). Intellectual property : Patents, copyright, trade marks and allied rights.
3. Delhi, Universal Law Publishing, 2001.
4. Myneni (SR). Law of intellectual property, Hyderabad, Asia Law ouse, 2001.
5. Singh (SK). Intellectual Property Rights Laws. Delhi, Jain Book Agency, 2012.
6. Vaidhyanathan (S). Copyrights and Copywrons : The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity. New Yourk, New Your University Press, 2003.